# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
## पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 458 / 2018 | दावा 53, 88 RTA | 29.08.2018 | 30.08.2019 |

किशनाराम पुत्र स्व. न्योलाराम जाति जाट निवासी ग्राम दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
2. परमाराम } पुत्रगण स्व. न्योलाराम जाति जाट निवासी ग्राम दूधवा खारा
3. पूर्णाराम } तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड व घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री अनवर खान वादी
2. अधिवक्ता श्री कपिल महर्षि प्रतिवादी सं. 3

### निर्णय

वादी की ओर से दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड व घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 सगे भाई हैं तथा ग्राम दूधवा खारा के स्थाई निवासी हैं। यह कि वादी के पिता स्व. न्योलाराम का देहान्त दिनांक 29.11.2000 को हो गया था तथा माता चन्दादेवी का देहान्त दिनांक 10.10.1964 को हो गया था। वादी के पिता के नाम से खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 92 रकबा 1.16, खसरा नं. 113 रकबा 35.09, खसरा नं. 117 रकबा 8.04, खसरा नं. 166 रकबा 04 तथा खसरा नं. 168 रकबा 1.17 कुल 5 खसरा की कृषि भूमि 51.06 बीघा है जो बारानी भूमि है, जिसके पुराना खाता संख्या 181 तथा नया खाता संख्या 181 हैं। यह कृषि भूमि रोही दूधवा खारा में स्थित है जिसका पटवार हल्का दूधवा खारा लगता है। इस कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता का कब्जा काश्त बतौर खातेदार रहा था व उनके देहान्त के बाद तीनों भाई (वादी व प्रतिवादीगण) का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

Family Tree न्योलाराम (फौत)

किशनाराम | परमाराम | पूर्णाराम | माता (फौत) चन्द्रावली | रूकी | गायत्री | विमला

वादी की तीनों बहनें शादीशुदा हैं जो अपने–अपने ससुराल में सुखपूर्वक रह रही हैं। मुताबिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 (संशोधित) के पिता की जायजात में पुत्रियों का हक व हिस्सा समाप्त कर दिया गया है। संशोधन के मुताबिक जिनके पिता की 2005 से पहले मृत्यु हो चुकी है, उनको पिता की जायजात में से हिस्सा नहीं मिलेगा। इस संशोधन की रोशनी में सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त 2015 में अपने निर्णय प्रकाश व अन्य बनाम फुलवती व अन्य में तय कर दिया है। इस निर्णय व संशोधन की प्रति दावा के साथ पेश

उपखण्ड अधिक
चूरू

की जा रही है, जो काबिले गौर है। इसलिये वादी की बहनों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी की माता का पहले ही देहान्त हो चुका है। अब तीनों पुत्र यानि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ही स्व. न्योलाराम के कानूनन वारिस व हकदार हैं। चूंकि सारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार आज भी इनके पिता का नाम ही चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त करवाना वादी के लिये जरूरी हो गया है। जिसके लिये ये दावा पेश किया जा रहा है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार चूरू से दिनांक 04.08.2018 को मिलकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने व अपने पिता की जगह बतौर खातेदार हम तीनों भाईयों के नाम दर्ज करने का निवेदन किया तथा कानूनी स्थिति जो दावा में अंकित की है, के बाबत भी बताया था, मगर तहसीलदार चूरू ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिये इसी तारीख से प्रतिवादी के खिलाफ बिनाए मुखास्मत (कॉज ऑफ एक्शन) हासिल है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को ऐसा करने व राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती बाबत वादी ने दिनांक 04.08.2018 को कहा तो दोनों ने कहा कि तुम कानूनी कार्यवाही करो हमारे पास तो रूपया नहीं है। लिहाजा इस तारीख से इनके खिलाफ भी बिनाए मुखास्मत (कॉज ऑफ एक्शन) हासिल है। यह कि बिनाए दावा (बेसेज आफ सूट) वादी को अपने पिता स्व. न्योलाराम जो कि इस कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार व काश्तकार होने व उनके पुत्र होने से हासिल है। वादी के पिता व माता का मृत्यु प्रमाण पत्र की नकलें व जमाबंदी सम्वत् 2071–74 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा के साथ पेश की जा रही है। यह कि प्रतिवादी तहसीलदार, चूरू जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, के खिलाफ ऐसा कोई बेजां अनुतोष नहीं चाहा गया है, जिससे राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव या नुकसान होता हो। इसलिये ऐसे मामलों में धारा 80 सिविल प्रकिया संहिता के तहत पूर्व कानूनी नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। यह कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हित भी वादी द्वारा मांगे गये अनुतोष से जुड़ा है। इस प्रकार इन्हें भी चाहा गया अनुतोष दिया जाने से व दावा डिक्री होने से कोई नुकसान व असुविधा नहीं होनी है तथा आवश्यक पक्षकार होने से इन्हें पक्षकार बनाया गया है। इनके खिलाफ़ वादी ने कोई अनुतोष नहीं मांगा है। यह कि माननीय न्यायालय को यह दावा सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा अन्दर मियाद वाजिब न्याय शुल्क पर काबिले समाअत अदालतवाला पेश है। यह कि इस दावा से पहले इस कृषि भूमि बाबत इस अनुतोष को लेकर पूर्व में कोई भी दावा किसी भी राजस्व न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और ना ही कोई दावा निर्णित हुआ है व ना कोई विचाराधीन ही है। वादी का यह प्रथम दावा है।

अतः दावा वादी पेश कर अर्ज है कि दावा बहक वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें–

(क) खेत खसरा नम्बरान क्रमशः 92, 113, 117, 166 व 168 बारानी रोही मौजा दूधवा खारा कुल किता 5 का कुल रकबा 51 बीघा 6 बिश्वा जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के स्व. पिता न्योलाराम की खातेदारी कृषि भूमि है, के राजस्व रिकॉर्ड में से स्व. न्योलाराम जाट पुत्र इन्दाराम जाट, साकिन दूधवा खारा का नाम हटाया जाकर बतौर खातेदार काश्तकार वादी व इनके दो भाई परमानन्द व पूर्णाराम पुत्र स्व. न्योलाराम जाट, साकिन दूधवा खारा का नाम अंकित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी तहसीलदार, चूरू के जारी की जावे।

(ख) डिक्री की रोशनी में प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि बतौर लैण्ड होल्डर व कॉस्टोडियन राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी

(ग) अन्य कोई दादरसी जो करीने इन्साफ वादी हो, जिसकी इस्तदुआ वादी अपने दावा में ना कर पाया हो या दौराने दावा हो जावे, जिसे प्रदान किये जाने में माननीय न्यायालय सक्षम है व कानूनन दी जा सकती है, वो भी अता फरमाया जावें।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी सं. 2 स्वयं उपस्थित हुआ। जवाबदावा व वकालतनामा हेतु समय चाहा। प्रतिवादी सं. 3 को रजिस्टर्ड डाक के सम्मन जारी किये गये। वकील वादी ने रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश की। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री कपिल महर्षि एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 ने जवाबदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी सं. 2 परमाराम की ओर से पेश जवाबदावा अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 जिस प्रकार से अंकित की गई है सही होने से स्वीकार की जाती है। यह कि दावा की मद सं. 2 जिस प्रकार अंकित की गई है सही होने से स्वीकार की जाती है। कुर्सीनामा सही वा सत्य अंकित किया गया। यह कि दावा की मद सं. 3 जिस प्रकार अंकित की गई है सही होने के कारण मुझ प्रतिवादी सं. 2 की ओर से स्वीकार की जाती है। अन्य तथ्य कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। यह कि मद सं. 4 दावा जिस प्रकार अंकित की गई है मुझ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकार की जाती है। यह कि दावा की मद सं. 5 कानूनी है इसलिए जवाब की आवश्यकता नहीं है। यह कि दावा की मद सं. 6 जिस प्रकार से अंकित की गई है सही होने से स्वीकार की जाती है। यह कि दावा की मद सं. 7 दावा कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है स्वीकार की जाती है। यह कि दावा की मद सं. 8 जिस प्रकार से लिखी गई है सही हाने से मुझ प्रतिवादी द्वारा स्वीकार की जाती है। यह कि दावा का अंतिम पैरा मय अनुतोष जिस प्रकार से अंकित किया गया है सही लिखा होने के कारण मुझ प्रतिवादी सं. 2 द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 ने जवाबदावा के विशेष कथन में अंकित किया कि दावा में दर्ज खसरा नम्बर कमशः 92, 113, 117, 166 व 168 बारानी रोही मोजा दूधवा खारा कुल किता 5 का कुल रकबा 51 बीघा 6 बिश्वा रोही मौजा दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू में अवस्थित चला आ रहा है जिसका बाहमी बंटवारा मौके पर किया हुआ है वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि का लगान व खातेदारी अलग से करवाना चाहता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है। इसलिए हमारे पिता की खातेदारी की कृषि भूमि का खाता व लगान अलग अलग किया जाता है तो मेरे को कोई आपति एतराज नहीं है। मेरा खाता भी अलग कर दिया जावे।

अतः (जवाबदावा) इकबालदावा पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किये जाने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है।

प्रतिवादी सं. 3 व पैरोकार राज का काफी अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर आवश्यक रूप से जवाबदावा पेश करने की हिदायत दी गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी का पेश कर प्रतिवादी सं. 1 व 3 का जवाब अवसर बन्द करने की मांग की। प्रा0पत्र की प्रति वकील प्रतिवादी सं. 3 को दी जाकर जवाब हेतु समय दिया गया। आगामी तारीख पेशी पर वकील प्रतिवादी सं. 3 ने जवाब प्रा0पत्र व जवाबदावा पेश किया।

वकील वादी ने प्रा0पत्र आदेश नियम 1 सीपीसी पर 'नोट प्रेस' किया जिस पर जवाबदावा की प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी सं. 3 पूर्णाराम की ओर से पेश जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। यह कि दावा की मद सं. 2 में वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत वंशवृक्ष सही होने से स्वीकार है। यह कि दावा की मद सं. 3, 4 व 5 में वर्णित तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार है। यह कि दावा की मद सं. 6 व 7 कानूनी है इस कारण जवाब की आवश्यकता नहीं है। यह कि दावा में चाहा गया अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं. 3 ने जवाबदावा के विशेष कथन में अंकित किया कि खेत खसरा नम्बर कमशः 92, 113, 117, 166 व 168 बारानी रोही मौजा दूधवा खारा कुल किता 5 का कुल रकबा 51 बीघा 6 विश्वा जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के स्वर्गीय पिता न्योलाराम की खातेदारी कृषि भूमि है के राजस्व रिकार्ड में से स्व. न्योलाराम जाट पुत्र इन्दाराम जाअ साकिन दूधवा खारा का नाम हटाया जाकर बतौर खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 का बहिस्सा बराबर बराबर नाम अंकित किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी संख्या 3 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा स्वीकार किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी संख्या 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी सं. 1 पैरोकार राज की ओर काफी अवसर व समय दिया जाने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाबदावा बन्द किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से इकबालदावा पेश करने से पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी किशनाराम ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वकील प्रतिवादी द्वारा गवाह से जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। साक्ष्यवादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि हम साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि ग्राम दूधवा खारा के ख.नं. 92, 113, 117, 166, 168 तादादी कमशः 1.16, 35.09, 8.04, 4.00, 1.17 कुल तादादी 51.06 बीघा वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता न्योलाराम की खातेदारी व कब्जा काश्त की रही है। वादी के पिता स्व. न्योलाराम का देहान्त दिनांक 29.11.2000 को हो गया था तथा माता चन्दादेवी का देहान्त दिनांक 10.10.1964 को हो गया था। वादी की तीन बहिनें हैं जो अपने अपने ससुराल रहती हैं। वादी के पिता के देहान्त के बाद से उक्त वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त वादी व उसके दो भाईयों प्रतिवादी सं. 2 व 3 का रहा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (संशोधित) के अनुसार पिता की जायदाद में पुत्रियों का हक व हिस्सा समाप्त कर दिया गया है। संशोधन के मुताबिक जिनके पिता की 2005 से पहले मृत्यु हो चुकी है, उनको पिता की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा। इस संशोधन की रोशनी में सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त 2015 में अपने निर्णय प्रकाश व अन्य बनाम फूलवती व अन्य में तय कर दिया है। इसलिए हमने बहिनों को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए पिता की मृत्यु के बाद से वादगत कृषि भूमि के कानूनन वारिस व हकदार वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 हैं। दावा में प्रतिवादी सं. 1 राजस्थान सरकार की ओर से दावा के विरोध में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने इकबालदावा पेश कर दावा स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति एतराज नहीं होने का

उपखण्ड अधिकारी

कथन किया है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादगत कृषि भूमि में से स्व. न्योलाराम का नाम खातेदारी से हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम अंकित करते हुए राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने की डिक्री जारी की जावे।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि हमारे पिता की खातेदारी की है। इस दावा में हमने इकबालदावा पेश किया है। हमें दावा स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति एतराज नहीं है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे।

दावा पर बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादी ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि अपने पिता की खातेदारी का होना अंकित करते हुए पिता के स्वर्गवास के बाद से इस भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 का कब्जा काश्त बताया है। वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता का 29.11.2000 को व माता का स्वर्गवास 10.10.1964 को जाना अंकित किया है। वादी ने अपने दावा में वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 की तीन बहिनें होना बताया है जो अपने ससुराल रहती हैं जिनको दावा में पक्षकार नहीं बनाया है। अपनी बहिनों को पक्षकार नहीं बनाने का आधार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में हुए संशोधन 2005 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2015 में प्रकाश व अन्य बनाम फूलवती व अन्य में पारित निर्णय को बताया है जिसके अनुसार जिनके पिता की मृत्यु 2005 से पहले मृत्यु हो चुकी है, उनको पिता की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा। वादी द्वारा पेश जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम दूधवा खारा के खाता संख्या नया 181 खाता संख्या पुराना 181 ख.नं. 92, 113, 117, 166, 168 तादादी कमशः 1.16, 35.09, 8.04, 4.00, 1.17 कुल खसरे 5 कुल तादादी 51.06 बीघा में वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता नोलाराम पुत्र इन्दाराम कौम जाट सा.देह खातेदार दर्ज हैं। प्रमाणित छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र न्योलाराम जड़िया पुत्र इन्द्राराम दिनांक 08.12.2000 में न्योलाराम की मृत्यु की तिथि 29.11.2000 अंकित है। प्रमाणित छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र चन्दादेवी पत्नी न्योलाराम जारी दिनांक 21.12.04 में चन्दादेवी की मृत्यु की तिथि 10.10.64 अंकित है। दावा के संलग्न माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2015 DNJ (SC) 1088 में सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया है कि Right conferred on a daughter of a coparcener is on and from the date of commencement of the Act of 2005- No retrospective effect of the amended provision - Partition, disposition or alienation taken place before 20.12.2004 will remain unaffected and the partition effected thereafter will be governed by the explaination. वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश झुन्झुनू दीवानी वाद संख्या 23/2015 अनुवानी श्रीमती मधुदेवी बनाम सत्यभामा व अन्य के आदेश दिनांक 10.10.2017 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। साक्ष्यवादी में उपस्थित गवाह ने अपने बयानों में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपने पिता की मृत्यु के बाद से आज तक वादगत कृषि भूमि के मौके पर अपना एवं अपने दो भाईयों प्रतिवादी सं. 2 व 3 का ही कब्जा काश्त बताया है तथा अपनी बहिनों का सुखपूर्वक ससुराल में रहना अंकित किया है।

उपरोक्तानुसार पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता स्व. न्योलाराम की खातेदारी की रही है जैसा कि प्रदर्श–1 में आज भी स्व. न्योलाराम खातेदार अंकित है। वादी के पिता व माता की

उपखण्ड अधिकारी

मृत्यु हो चुकी है जिनके प्रमाण स्वरूप मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 पेश किये हैं। वादी के पिता न्योलाराम के वारिसों में तीन पुत्र व तीन पुत्रियां होना वादी ने अंकित किया है। वादी ने दावा में राजस्थान सरकार व अपने दो भाईयों को पक्षकार बनाया है परन्तु अपनी तीन बहिनों को पक्षकार नहीं बनाया है। बहिनों को पक्षकार नहीं बनाने का आधार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में वर्ष 2005 को हुए संशोधन को बताया है। वादगत कृषि भूमि वादी के पिता की खातेदारी की है एवं वादी के पिता स्व. न्योलाराम की खातेदारी भूमि में न्योलाराम की पुत्रियों का हक हिस्सा बाई बर्थ निहित है परन्तु वादी ने अपनी बहिनों को इस दावा में पक्षकार नहीं बना कर केवल अपने भाईयों एवं राजस्थान सरकार को ही पक्षकार बनाया है जबकि वादगत कृषि भूमि में वादी की तीन बहिनें भी हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार हैं। इस प्रकार वादी ने अपने दावा में जिसके निर्णय से भूमि धारक प्रतिवादी सं. 1 राजस्थान सरकार जिसका वादगत कृषि भूमि में कोई हित निहित नहीं है एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 जिनको वादगत कृषि भूमि में अपने हक हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त हो रही है, को ही पक्षकार बनाया है परन्तु अपनी बहिनें जिनका हक हिस्सा दावा के निर्णय से प्रभावित व समाप्त हो रहा है, को पक्षकार नहीं बनाकर अपनी बहिनों को सुनवाई के अधिकार से महरूम रखने का प्रयास किया है। वादी ने अपने दावा में स्व. न्योलाराम की पुत्रियां, जो इस दावा की आवश्यक पक्षकार है, को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे दावा में आवश्यक पक्षकारों का अभाव पाया जाता है। वादी की बहिनें स्व. न्योलाराम की जायज वारिस हैं इसलिए अपने पिता की खातेदारी भूमि में उनका हक हिस्सा बाई बर्थ रहा है फिर भी वादी ने अपनी बहिनों को पक्षकार नहीं बनाकर उनके सुनवाई के अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर विधिक त्रुटि की है। जहां तक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में 2005 में हुए संशोधन का प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.02.2018 में इसके सम्बन्ध में स्पष्ट अभिनिर्धारित किया है "Feb 6, 2018 - A Supreme Court bench said the amended **Hindu Succession Act** of 2005stipulated that a daughter would be a 'coparcener' since birth, and have the 'same rights and liabilities' as a son. With the coming of the **Hindu succession act** in 2005, daughters got equal rights in their ancestral assets." इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 188, 189/2018 निर्णय दिनांक 01 फरवरी, 2018 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयती मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पत्ति प्रथमतः उन वारिसों को न्यागत होगी जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं। अनुसूची के वर्ग 1 में पुत्री को भी समान अधिकार हासिल हैं। प्रस्तुत दावा में आवश्यक पक्षकारों का अभाव होने से दावा वादी खारिज योग्य पाया जाता है।

## निर्णय

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर वादी द्वारा पेश दावा में आवश्यक पक्षकारों के अभाव में दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

( श्वेता कोचर )
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

# डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
## अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

**इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0**

किशनाराम पुत्र स्व. न्योलाराम जाति जाट निवासी ग्राम दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

–वादी–

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
2. परमाराम } पुत्रगण स्व. न्योलाराम जाति जाट निवासी ग्राम दूधवा खारा
3. पूर्णाराम } तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड व घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 458 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री अनवर खान एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब श्री कपिल महर्षि एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा पेश दावा में आवश्यक पक्षकारों के अभाव में दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30 माह अगस्त सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू